"वि. स. पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, गुरुवार दिनांक 17 जनवरी 2002 पौष 27, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक डी/455/21-अ (प्रारूपण)/2002. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा बनाया गया अध्यादेश, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 27 सन् 2001)

# छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

**राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र.27 सन् 2001) होगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "रैगिंग" से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना.

(ख) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था.

रैगिंग का प्रतिषेध.

3. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षत: या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा.

दंड.

4. यदि कोई व्यक्ति धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा. छात्र के निष्कासन के लिए निर्योग्यता.

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा-4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा.

(3) ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

— X —

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक डी/455/21-अ (प्रारुपण)/2002.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र.27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त-सचिव.